

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
-:अधिसूचना:-

संचिका संख्या :-06/अ0-03-01/2019

पटना, दिनांक-

श्रीमती अनुपमा कुमारी, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना को क्ति विभाग के पत्रांक-8043 दिनांक-11.10.2017 की कंडिका 3 (G) (i) छुट्टी यात्रा रियायत (LTC) की सुविधा प्रदान किये जाने के प्रावधान के आलोक में दिनांक-10.05.2025 से 17.05.2025 तक केरल (भारत) भ्रमण हेतु सपरिवार छुट्टी यात्रा रियायत (LTC) उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(ज्योति प्रकाश)

सरकार के अवर सचिव,

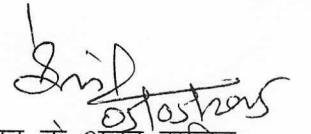
वाणिज्य-कर विभाग

बिहार, पटना।

ज्ञापक:-06/अ0-03-01/2019 1929

पटना, दिनांक-05/05/25

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, क्ति (ले0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/राज्य- कर संयुक्त आयुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर उपायुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी (स्था0), एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्रीमती अनुपमा कुमारी, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना को इस आशय की सूचना के साथ प्रेषित की जाती है कि याचित अवकाश की स्वीकृति एच0आर0एम0एस0 के माध्यम से करायेंगे।



सरकार के अवर सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग

बिहार, पटना।